बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति।

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। औद्योगिक विकास के क्रम में उद्योगों की स्थापना हेतु सरकारी स्तर पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ महसूस की जा रही है। अतएव निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्पनी एक्ट/सोसाईटी एक्ट के तहत् निबंधित Special Purpose Vehicle के माध्यम से निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्पनी एक्ट/सोसाईटी एक्ट के तहत् निबंधित Special Purpose Vehicle के माध्यम से बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत न्यूनतम 25 एकड़ भूमि और 10 औद्योगिक ईकाइयों का निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. योजना के स्थापना की प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नवत् होगाः–

i- निजी औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के क्रम में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया जायेगा। सैद्धांतिक रूप से सहमति प्राप्त होने के उपरांत वैसे भूधारी जो अपना जमीन निजी औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र की स्थापना हेतु देना चाहते है, वे एक SPV (Special Purpose Vehicle) का गठन करते हुए पूरे जमीन का मालिकाना हक SPV को स्थानांतरित करेंगे। SPV को कम्पनी एक्ट/सोसाईटी एक्ट के तहत् निबंधित होना आवश्यक होगा। SPV के गठन हेतु Model by laws/ Articles of Association सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा।

ii– निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कम से कम 25 एकड़ भूमि की उपलब्धता आवश्यक होगी तथा सामान्यतः 20 (बीस) अलग–अलग ईकाइयों को आवश्यकतानुसार क्षेत्रफल का भूमि आवंटित किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में Bunching करके ईकाई को अधिक भूमि भी आवंटित किया जा सकेगा, परन्तु औद्योगिक प्रांगण क्षेत्र में कुल इकाईयों की संख्या दस से कम नहीं होगी। अगर ईकाइयों की संख्या दस से कम करना हो तो इस संबंध में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना होगा।

iii– निजी औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्ड को ईकाइयों को दीर्घकालीन लीज (कम से कम 30 वर्ष के लिए) के आधार पर SPV द्वारा आवंटित किया जायेगा।

iv– निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेवारी SPV की होगी। इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका और जिम्मेवारी नहीं होगी।

v– निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित ईकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत सभी सुविधायें देय होगी।

vi– भूधारी द्वारा जो जमीन SPV को स्थानांतरित किया जायेगा उस पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत स्टाम्प डियूटी/ निबंधन शुल्क/ सम्परिवर्त्तन शुल्क का छूट दिया जायेगा।

vii– निजी औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र के आधारभूत संरचना पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान निर्धारित परियोजना लागत पर होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के द्वारा उनके औद्योगिक क्षेत्र में प्रति एकड़ विकसित करने के परियोजना लागत को आधार माना

जायेगा। राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान निजी औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र के आधारभूत संरचना के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगा। अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा चार किस्तों में SPV के Matching contribution के आधार पर देय होगी तथा अधिकतम सीमा 50 (पचास) करोड़ रू0 तक रखा जायेगा। परन्तु यह सीमा किसी भी परिस्थिति में बियाडा द्वारा किये जाने वाले प्रति एकड़ व्यय से अधिक नहीं होगा।

viii– राज्य सरकार से दिया जाने वाला अनुदान निजी औद्योगिक क्षेत्र के आधारभूत संरचना पर कुल परियोजना लागत में निम्नवत कार्यों पर व्यय अनुदान हेतु अनुमान्य होगाः–

(a) **भूमि का मूल्य**– SPV द्वारा भूमि क्रय करने पर भूमि अधिग्रहित दर (Value in Registered Deed) या भूधारी द्वारा खतियानी/ जमाबंदी भूमि के SPV को स्थानांतरित करने पर जमीन का सर्किल रेट।

(b) भूमि का विकास, अधिकतम Project Cost का 3% होगा।

(c) चहारदिवारी

(d) आंतरिक सड़कें

(e) विद्युत आपूर्ति, विद्युत फीडर्स, विद्युत सबग्रीड

(f) सम्पर्क पथ

(g) ड्रेनेज

(h) सिभरेज

(i) Common Effluent Treatment Plant

(j) औद्योगिक प्रांगण में Street Lighting की व्यवस्था

(k) Solid Waste Management Facility

(l) सामान्य प्रयोगशाला लैब

(m) प्रशासनिक भवन

(n) अन्य सामान्य सुविधाएँ।

ix– निजी औद्योगिक क्षेत्र में आधारतभूत संरचना विकसित करने के उपरांत Long Term Lease पर दिये जाने वाले भूखण्ड का आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। भूखण्ड को निम्नवत आवंटित करने का प्रवधान होगाः–

(a) 70 % विनिर्माण एवं राज्य सरकार द्वारा चिन्हित थ्रस्ट ऐरिया उद्योग के लिए।

(b) 20% सामान्य प्रयोग/ आधारभूत संरचना/ ग्रीन एरिया/ भविष्य की आवश्यकता के लिए

(c) 10% भूधारी को इनके द्वारा SPV को दिये गये जमीन के अनुपात में जिसका उपयोग वे कॉमर्शियल, हाउसिंग इत्यादि में कर सकेंगे जिससे के उन्हें Permanent Stake मिल सकेगा। SPV द्वारा इसे भी मास्टर प्लान में चिन्हित किया जाएगा।

x– जमीन आवंटित करने की जिम्मेवारी SPV की होगी।

xi– निजी औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र में आवंटन दर SPV द्वारा निर्धारित की जायेगी।

xii– SPV द्वारा भूमि आवंटन से प्राप्त राशि का 5% तथा वार्षिक लाभ (Annual Net Profit) का 10% की राशि के अंशदान से Development Reserve Fund (DRF) तैयार किया जायेगा जिसका उपयोग भविष्य में निजी औद्योगिक क्षेत्र में वाह्य आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु किया जायेगा। DRF में उपलब्ध राशि को स्थायी जमा (Fixed Deposit) इत्यादि में रखा जायेगा। किसी भी समय DRF मे उपलब्ध राशि का 33% तक राशि आधारभूत संरचना स्थापित करने हेतु व्यय किया जा सकेगा। DRF के संचालन हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें SPV के

प्रतिनिधियों के अलावा उक्त औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र में स्थित ईकाइयों के प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे।

xiii– Routine Maintenance हेतु SPV द्वारा ईकाइयों से maintenance शुल्क लिया जायेगा। Maintenance शुल्क से प्राप्त राशि के संचालन हेतु भी एक समिति गठित की जायेगी जिसमें SPV के प्रतिनिधियों के अलावा उक्त औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र में स्थित ईकाइयों के प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे।

xiv– निजी औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र की स्थापना की यह नीति बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 का ही एक हिस्सा माना जाएगा।

xv– प्रस्तावित निजी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित Master Plan एवं DPR को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। उक्त समिति की बैठक में SPV के निवेशकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

xvi– SPV द्वारा प्रस्तुत किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार एक Project Monitoring Agency (PMA) की नियुक्ति करेगी। PMA राज्य सरकार को समय–समय पर परियोजनाओं का मूल्यांकन राशि के आवंटन एवं उपयोगिता के समीक्षा हेतु सहयोग करेगी।

xvii– निश्चित समय सीमा में या निर्धारित कार्य हेतु निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं करने पर SPV को दिए गए छूट की राशि सूद सहित वापस करना होगा।

4– इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष–0163– व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रखरखाव– बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड– P2852801020163 राज्य योजना स्कीम कोड– IND 5434 अंतर्गत विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय व्ययक में उपबंधित राशि अथवा राशि का उपबंध कराकर तथा आवश्यकता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में राशि का उपबंध कराकर किया जाएगा।

5– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.08.2013 के मद संख्या 01 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.09.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 4389 पटना, दिनांक 26 / 09 /2013

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

प्रतिलिपि– प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि प्रकाशित बिहार राजपत्र की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

23.09.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4389 पटना, दिनांक 26 / 09 /2013

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

23/09/13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4389 पटना, दिनांक 26 / 09 / 2013

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, बिहार/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार के अधीन सभी निगम/ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

23/09/13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4389 पटना, दिनांक 26/ 09 / 2013

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव –सह– वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/ अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कौरपोरेशन लिमिटेड, पटना/ निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0 एस0 एम0 ई0) विकास संस्थान, पटना/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

23.09.13

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4389 पटना, दिनांक 26/ 09 / 2013

2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण–07–01/13

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय, साथ ही प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी वेबसाईट पर प्रेषित किया जाय।

23.09.13

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

राज्य के औद्योगिक विकास के क्रम निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उदेश्य से उद्योग विभाग के संकल्प सं0 4389 दिनांक 26.09.2013 द्वारा कंपनी एक्ट/ सोसाईटी एक्ट के तहत निबंधित Special Purpose Vehicle (S.P.V.) के माध्यम से निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के **क्रियान्वयन की प्रक्रिया** निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

1. निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा दिया जायेगा। इच्छुक उद्यमियों/भूधारी निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को उद्योग विभाग में समर्पित करेंगे तथा उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जायेगी।

2. सैद्धांतिक सहमति प्राप्त होने के उपरांत SPV गठन एवं SPV को भूमि का मालिकाना हक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। योजना के अंतर्गत भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क के छूट हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्योग विभाग द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

3. भूमि का मालिकाना हक को SPV के नाम पर हस्तांतरित किये जाने के पश्चात् SPV द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा Master Plan का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त PMA द्वारा किया जायेगा। PMA के अनुशंसा के आलोक में अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति (Project Assessment & Monitoring Committee) के समक्ष रखा जायेगा तथा PAMC द्वारा स्वीकृत परियोजना के आलोक में अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उक्त समिति की बैठक में SPV के निवेशकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

4. अनुदान सामान्यतः SPV के Matching contribution के आधार पर SPV द्वारा किए गए पूंजी निवेश (भूमि का मूल्य सम्मिलित) का 30 प्रतिशत अधिकतम 50 (पचास) करोड़ रूपये दिया जायेगा, जो कि निम्नवत् 04 किस्तों में दिया जायेगा। पहले किस्त में योजना के अंतर्गत SPV को कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत दिया जायेगा, इस शर्त के साथ की कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत यानी की जमीन के मूल्य को छोड़कर परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा कर लिया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। दूसरा किस्त योजना के अंतर्गत SPV को कुल देय अनुदान का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ देय होगा कि कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत का अतिरिक्त 20 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। उसी तरह तीसरा किस्त कुल देय अनुदान का 30 प्रतिशत इस शर्त के साथ देय होगा कि कुल परियोजना लागत में आधारभूत संरचना हेतु लागत का अतिरिक्त 30 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो तथा उसी अनुरूप भौतिक कार्य भी संपन्न किया गया हो। चौथे किस्त में कुल देय अनुदान में से पहले तीन किस्तों में दिया जा चुका अनुदान को छोड़कर शेष अनुदान इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार

निजी औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना हेतु लागत का 100 प्रतिशत व्यय SPV द्वारा किया गया हो और पूर्ण रूप से आधारभूत संरचना का कार्य संपन्न किया गया हो। किसी भी किस्त में अनुदान स्वरूप दिए जाना वाले राशि आधारभूत संरचना हेतु SPV द्वारा किए गए व्यय से अधिक नहीं होगा।

5. परियोजना का स्थल निरीक्षण PMA एवं संबंधित जिला के महाप्रबंधक तथा बियाडा के पदाधिकारी द्वारा करने के आधार पर अनुदान विमुक्ति की जायेगी।

6. भविष्य में निजी औद्योगिक क्षेत्र में वाहय आधारभूत संरचना स्थापित करन के उद्देश्य से SPV द्वारा भूमि आवंटन से प्राप्त राशि का 5% तथा वार्षिक लाभ (Annual Net Profit) का 10% की राशि के अंशदान से Development Reserve Fund (DRF) तैयार किया जायेगा। Routine Maintenance हेतु SPV द्वारा ईकाइयों से लिए गए maintenance शुल्क के संचालन हेतु भी एक समिति गठित की जायेगी। SPV को दोनों समिति गठित कर विभाग को सूचित करना होगा। दोनों समिति में SPV के प्रतिनिधियों के अलावा उक्त औद्योगिक प्रांगण/ क्षेत्र में स्थित ईकाइयों के प्रतिनिधि भी सदस्य रहेंगे।

7 पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या ज्ञापांक 5533 दिनांक 19.12.13 को विलोपित समझा जाय।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-........................ पटना, दिनांक / /2014
2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण-07-01/13

प्रतिलिपि- प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्। अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

ह0/-
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-784 पटना, दिनांक 03/03/ 2014
2/उ0नि0निजी औद्योगिक प्रांगण-07-01/13

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ उद्योग निदेशक, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित्।

Shailesh Thakur
उद्योग निदेशक, 28.2.14
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-784 पटना, दिनांक 03/03/ 2014

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा प्रभारी "ई" गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रेषित करने हेतु।

Shailesh Thakur
उद्योग निदेशक, 28.2.14
बिहार, पटना।